संख्या-1148/ 77-3-16-918भा/ 81

प्रेषक,

देवी प्रसाद,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश शासन।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 **लखनऊ:दिनांक: 25 जुलाई, 2016**

विषय:-औद्योगिक विकास विभाग (तत्कालीन उद्योग विभाग) द्वारा उद्योगों की स्थापना के लिए विभिन्न कम्पनियों हेतु अधिगृहीत की गयी भूमि को फ्री-होलड किये जाने सम्बन्धी नीति, 2016

महोदय,

उपर्युक्त विषयक औद्योगिक विकास विभाग (तत्कालीन उद्योग विभाग) द्वारा उद्योगों की स्थापना के लिए विभिन्न कम्पनियों हेतु अधिगृहीत की गयी भूमि को फ्री-होलड किये जाने सम्बन्धी नीति, 2016 सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्या-638/ 77-3-16-918भा/ 81, दिनांक 29.04.2016 के प्रस्तर-7.1 में भूमि के फ्री-होल्ड हेतु आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन किये जाने की व्यवस्था है।

2. औद्योगिक उपयोग हेतु निजी कम्पनियों/ संस्थाओं को गवर्नमेंट ग्राण्ट एक्ट 1895 के अधीन दी गयी भूमि को फ्री-होलड करने हेतु

http://shasanadesh.up.nic.in

आवेदन पत्र का प्रारूप निमनवत है:-

औद्योगिक उपयोग हेतु निजी कम्पनियों/ संस्थाओं को गर्वनमेंट ग्राण्ट एक्ट 1895 के अधीन दी गयी भूमि को फ्री-होल्ड करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

1.	भूमि पर स्थापित उद्योग का विवरण- 1.औद्योगिक इकाई का नाम- 2.स्थापना की तिथि-	
2.	ट्रान्सफर डीड/ अनुबन्ध में वर्णित भूखण्ड का विवरण- 1.गाटा संख्या- 2.क्षेत्रफल- 3.ग्राम- 4.तहसील- 5.जनपद- 6.अनुबन्ध की तिथि 7.अनुबन्ध की अवधि यदि कोई हो-	
3.	1. ट्रान्सफर डीड/ अनुबन्धकर्ता का नाम- 2. पता- (यदि ट्रान्सफर डीड/ अनुबन्धकर्ता संयुक्त रूप में है, तो समस्त संयुक्त ट्रान्सफर डीड/ अनुबन्धकर्ता के नाम, पता व सम्पर्क सूत्र)-	
4.	आवेदन शासनादेश संख्या-638/ 77-3-16-918भा/ 81, दिनांक 29.04.2016 के प्रस्तर-3 में उल्लिखित श्रेणियों में से जिस श्रेणी के अंतर्गत भूमि फ्री-होल्ड किया जाना प्रस्तावित है, का विवरण- किस् श्रेणी के अंतर्गत फ्री-होल्ड किया जाना प्रस्तावित है-	
5.	फ्री-होलड कराये जाने का आधार-	
6.	यदि उद्योग क्रियाशील है तो उसका विवरण- 1.विगत 03 वर्षो की बेलेन्सशीट-	

http://shasanadesh.up.nic.in

	2.विगत 03 वर्षो का इन्कमटैक्स रिटर्न- 3.पैन नम्बर-	
7.	यदि उद्योग बंद हो गया हो, तो- 1.उद्योग के कार्यशील रहने की अवधि- 2.उद्योग के बंद होने की तिथि- 3.(अ)उद्योग के बंद होने से संबंधित बी0आई0 एफ0 आर0 के आदेश की प्रति सहित विवरण- (ब) मा0 उच्च/ उच्चतम न्यायालय के आदेश की प्रति सहित विवरण- (जो आदेश लागू होता हो) 4.केन्द्रीय/ उ0प्र0प्रदूषण् नियंत्रण बोर्ड/ मा0 उच्च/ उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश-	
8.	सरप्लस/ अतिरिक्त भूमि का विवरण- 1.कुल भूमि का क्षेत्रफल- 2.उद्योग हेतु उपयुक्त भूमि का क्षेत्रफल- 3.सरप्लस भूमि का क्षेत्रफल- 4.भू-उपयोग का मानचित्र-	
9.	ट्रान्सफर डीड/ अनुबन्ध के माध्यम से दी गयी उपरोक्त भूमि के स्वामित्व का प्रमाण पत्र- 1.खतौनी (प्रमाणित व आवेदन की तिथि से एक माह से पुरानी न हो)	
10.	ट्रान्सफर डीड/ अनुबन्ध के माध्यम से दी गयी उपरोक्त भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में अथवा कोई अन्य विवाद यदि हो तो उसका विवरण-	
11.	ट्रान्सफर डीड/ अनुबन्ध के माध्यम से दी गयी उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में यदि किसी प्रकार के ऋण/ वित्तीय देयता/ बकाया धनराशि का विवरण-	
12.	नान-रिफण्डेबल प्रोसेसिंग फीस के रूप में प्रत्येक 01 हेक्टेयर अथवा उसके अंश प र रू02500/ - की दर से से कोषागार में जमा की गयी धनराशि के चलान का विवरण-	

http://shasanadesh.up.nic.in

13.	फ्री-होल्ड हेतु देय धनराशि का 25 प्रतिशत स्वमूल्यांकन के आधार पर आगणित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट का विवरण- (ड्राफ्ट प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग,उ0प्र0शासन के पक्ष में लखनऊ में देय होगा) नोट:- स्वमूल्यांकन के आधार पर जमा की जाने वाली धनराशि-संबंधित भूखण्ड का सर्किल रेट x भूखण्ड का क्षेत्रफल x फ्रीहोल्ड के लिए निर्धारित x 25 प्रतिशत	
14.	शासनादेश संख्या-638/ 77-3-16-918भा/ 81, दिनांक 29.04.2016 के प्रस्तर-7.7 के अनुसार व आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या-1 से 15 के सुसंगत, संलग्नक प्रपत्र/ अभिलेखों का विवरण।	

नोट-(1)प्रारूप का जो बिन्दु लागू न हो, उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाय।

(2)शासनादेश संख्या-638/ 77-3-16-918भा/ 81, दिनांक 29.04.2016 में निर्दिष्ट समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियां संलग्न की जायें।

<u>प्रमाण-पत्र</u> (शीर्षक)

1. उपरोक्त आवेदन पत्र में उल्लिखित तथ्यों एवं उनके समर्थन में संलग्नक अभिलेखों की पुष्टि एवं सत्यता मेरे द्वारा प्रमाणित की जाती है।

2. मुझे पूर्ण रूप से ज्ञात है कि यह आवेदन मात्र ट्रान्सफर डीड/ अनुबन्ध पत्र में निहित भूमि के फ्री-होल्ड हेतु है।

3. यदि मेरा आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाता है, तो मेरे द्वारा जमा की गयी धनराशि की वापसी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा न ही मेरे द्वारा ब्याज की मांग की जायेगी।

हस्ताक्षर-

दिनांक-

आवेदक का नाम-

सम्पर्क सूत्र

http://shasanadesh.up.nic.in

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया इच्छुक निजी कम्पनियां/ संस्थाएं भूमि को फ्री-होल्ड कराने हेतु उक्त प्रारूप पर आवेदन कर सकती है।

भवदीय,

देवी प्रसाद,

संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-1148(1)/ 77-3-16-तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव,उ0प्र0शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,उ0प्र0शासन।
3. प्रबन्ध निदेशक,यूपीएसआईडीसी, ए-1/ 4, लखनपुर,कानपुर।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,नोएडा/ ग्रेटर नोएडा/ यमुना एक्सप्रेसवे/
   लीडा/ सीडा/ गीडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
5. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,उ0प्र0, लखनऊ।
6. औद्योगिक विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

देवी प्रसाद,

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in